विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

क्या इस संसद सत्र में प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे?

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इतने महत्वपूर्ण संसद सत्र के प्रारंभ होते ही प्रधानमंत्री इंग्लैंड और मालदीव्स की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इससे यह संकेत तो मिलता ही है कि प्रधानमंत्री संसद में रहने को अधिक महत्त्व नहीं देते हैं।

इस सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित कई ऐसे गंभीर प्रश्न उठने की संभावना है जिस पर सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री को संसद के माध्यम से देश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सामान्यतया, जब सरकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक रूप से न दे और प्रधानमंत्री केवल अपनी ही बात करें और जनता एवं राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों के संबंध में मौन साध लें, तो फिर उनके पास उत्तर प्राप्त करने का केवल एक ही विकल्प बचता है, कि वे संसद के अंदर, संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें । हम इस आलेख में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अनुत्तिरत प्रश्नों का उल्लेख करेंगे ।

पहला प्रश्न पहलगाम की आतंकवादी घटना के संबंध में है । यह घटना 22 अप्रैल को घटी किंतु अभी तक इससे संबंधित अनेक पहलुओं का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जब पहलगाम की बाई –शरण घाटी में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पर क्यों पर्यटकों को इतनी बड़ी संख्या में जाने दिया गया? इसके कारण 26 निर्दोष पर्यटक, आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गए। प्रश्न यह भी है कि अभी तक चार आतंकवादियों में से एक को भी पकड़ा क्यों नहीं गया? देश यह जानना चाहता है कि क्या ये देश में ही कहीं छुपे हैं, पाकिस्तान चले गए हैं या फिर किसी मुठभेड़ में मारे गए हैं? जो भी स्थिति हो, सरकार को संसद के माध्यम से देश को बताना चाहिए।

दूसरा प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश को मिली सफलता एवं उसके परिणाम से संबंधित है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारत का कोई नुकसान इस संघर्ष में नहीं हुआ, जब कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक बयान दिया है कि इस संघर्ष में पांच जेट विमान गिराए गए। सरकार को यह साफ बताना चाहिए कि ये किसके थे? अब तक इस बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है । भारतीय सेना के प्रमुख अनिल चौहान और इंडोनेशिया में भारत के दूतावास में पदस्थापित रक्षा अटैची कैप्टन शिव कुमार ने यह माना कि भारत ने अपने जेट खोए हैं। यह सच बताने में सरकार को क्या परेशानी है कि भारत ने कोई जेट विमान खोए या नहीं और खोए तो कितने? जब संघर्ष होता है, तो दोनों पक्षों को जन धन की क्षति होना स्वाभाविक है। देश को यह जानने का हक तो है ही कि हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है? अंततः, सारा पैसा तो देश की जनता से ही वसूल किया जाता है? इस बारे में इतनी अपारदर्शिता क्यों? संसद में सरकार या तो डोनॉल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करे या पुष्टि करे।

तीसरा प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के चलते,अचानक हुए युद्ध विराम के संबंध में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार युद्ध विराम का श्रेय स्वयं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम करने हेतु तैयार किया। इसके लिए उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में भारत और पाकिस्तान को तराजू के पलड़ों में एक समान रखा। यह भारत के लिए अटपटी सी स्थिति थी क्योंकि भारत ने अब तक कभी भी किसी तीसरे देश की भूमिका, भारत-पाक संबंधों में स्वीकार नहीं की थी।

क्या संसद में प्रधानमंत्री इस बात को जोर देकर कहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप का कथन गलत है और उनकी कोई भूमिका इस युद्ध विराम में नहीं थी? इससे देश आश्वस्त होगा कि भारत ने पाकिस्तान से संबंधित अपनी इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है कि वह किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा।

चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में है। चुनाव आयोग द्वारा इस कार्रवाई के अंतर्गत बिहार के सभी आठ करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। इनमें से दो तीन करोड़ मतदाताओं को अपना स्वयं का और माता / पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी गणना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा । यह एक तथ्य है कि बिहार के लाखों लोग राज्य के बाहर अन्य राज्यों में कार्य हेतु जाते हैं। गहन पुनरीक्षण का निर्णय लेते समय चुनाव आयोग ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि कैसे भारी बरसात के बीच ये लोग अपना काम छोड़कर यह प्रपत्र भरने के लिए बिहार जाएंगे और कैसे ये लोग अपने माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि इस पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद लगभग डेढ़-दो करोड लोग ऐसे होंगे जिनके प्रपत्र दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे और इस कारण उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए जाएंगे। तदनुसार ये लोग नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में मत नहीं दे पाएंगे। सोशल मीडिया के कुछ लोगों जैसे अजीत अंजुम द्वारा बिहार में फील्ड पर किए जा रहे सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है कि बी एल ओ, अपने ही स्तर पर मतदाताओं की ओर से फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर करके जमा कर रहे हैं और मतदाताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह बात भी सामने आई है कि मतदाताओं को गणना प्रपत्र की एक प्रति नहीं दी जा रही है जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं। इस प्रकार की दोषपूर्ण प्रक्रिया से मतदाताओं को अपने अधिकार से वंचित करने की कार्यवाही के संबंध में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह सब क्यों किया जा रहा है जबकि बिहार में चुनाव नवंबर में हैं ? चुनाव आयोग यह सब मतदाताओं की नागरिकता जांचने के नाम पर कर रहा है जबकि कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। सरकार द्वारा नागरिकता का प्रमाण देने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा इस समय यह सब क्यों किया जा रहा है, इस बारे में स्थिति, सरकार को स्पष्ट करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार एवं चुनाव आयोग के उद्देश्य पर संदेह के बादल हमेशा मंडराते रहेंगे । लोगों में भी यह आशंका बनी रहेगी कि इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य सत्ताधारी दल के विपक्षियों के नाम मतदाता सूची से बाहर करना ही तो नहीं है? इस पर विस्तृत चर्चा अत्यंत आवश्यक है, जिसे केवल यह कहकर यह नहीं टाला जा सकता कि यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

विपक्षी दलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारण से संसद स्थगित न हो और जिन भी नियमों में संभव हो, उनके अंतर्गत वे चर्चा करें, ताकि सरकार और प्रधानमंत्री को विभिन्न विषयों पर उठाए गए विषयों पर उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़े। सकारात्मक विपक्ष का काम केवल यह नहीं है कि हंगामा करके सत्र को बंद करवा दें। ऐसा करके वे सरकार की ही सहायता करेंगे।

पांचवा महत्वपूर्ण विषय लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के पुनर्सीमांकन का है । यदि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का सीमांकन किया जाता है तो यह संभावना है कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में बहुत कमी आ सकती है। इस कारण दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में बहुत हो जाएगा । इसी कारण दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार को अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए। छठवां विषय जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, वह अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ए आई 171 के उड़ान भरते ही क्रैश होने के संबंध में है।

इस दुर्घटना में 260 व्यक्तियों की जान चली गई।अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना का कारण क्या रहा? कहीं यह कारण तो नहीं था कि सरकार की विभिन्न सुरक्षा नियामक एजेंसियों में कर्मचारियों /अधिकारियों की अत्यंत कमी है और जिसके कारण पर्याप्त सुरक्षा जांच, उड़ान से पूर्व संभवतया नहीं हो पाई ? अब तक प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि ईंधन के स्विच 'कट ऑफ' हो जाने के कारण इंजन बंद हो गए और यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया । इस बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी संसद सदस्यों को सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए।

सातवां महत्वपूर्ण बिंदु जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने से संबंधित है । इसका आश्वासन तो सरकार 2019 से ही दे रही है। हाल ही में श्रीनगर में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने घर से बाहर निकलने के लिए दीवार फांदकर जाना पड़ा । केंद्रीय रिजर्व पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा था। किसी भी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही देश में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े और पुलिस बलपूर्वक रोकने का प्रयास करे तो यह संसद में चर्चा का विषय तो बनेगा ही । सरकार को यह बताना होगा कि क्यों जम्मू कश्मीर को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है?

प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाओं की वास्तविकता के बारे में भी संसद में प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार के मोतिहारी में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस जिले में 3 लाख लोगों को पक्के आवास बनाकर दे दिए गए, जबकि सरकार की वेबसाइट के अनुसार ही अब तक कुल 14000 व्यक्तियों को ही मोतिहारी जिले में आवास मिले । गलत बयान देने के बारे में संसद सदस्य प्रधानमंत्री से जवाब मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री से अपेक्षा रहेगी कि वे स्थिति स्पष्ट करें।

कावड़ यात्रा में के दौरान कांवड़ियों द्वारा सीआरपीएफ के जवान को पीटने की घटना भी चर्चा का विषय बन सकती है। इस बारे में विभिन्न प्रकार की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा सांसदों और देश को रहेगी।

इस वक्त हाल ही में बरसात के कारण देश के कई उच्च राज मार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं कई पुल दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गए जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिस गति से बिहार और गुजरात में पुल टूटे हैं वह न केवल जनता के धन की बर्बादी को दर्शाता है अपितु भ्रष्टाचार की ओर इशारा भी करता है । बिहार के सांसद इस बारे में चर्चा की आशा रखेंगे ।

गत कुछ सत्रों का अनुभव यह रहा है कि सरकार किसी भी विवादास्पद विषय पर चर्चा करने से बचती रही है और प्रधानमंत्री स्वयं भी ऐसे समय सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। कई बार तो सत्ताधारी दल के सांसद ही हंगामा करने लग जाते हैं जिसके कारण सरकार अपने जवाब देने के उत्तरदायित्व से बच निकलती है। विपक्षी दलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारण से संसद स्थगित न हो और जिन भी नियमों में संभव हो, उनके अंतर्गत वे चर्चा करें, ताकि सरकार और प्रधानमंत्री को विभिन्न विषयों पर उठाए गए विषयों पर उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़े। सकारात्मक विपक्ष का काम केवल यह नहीं है कि हंगामा करके सत्र को बंद करवा दें। ऐसा करके वे सरकार की ही सहायता करेंगे। आशा की जानी चाहिए कि इस सत्र में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बहस होगी और विपक्ष सरकार को मजबूर करेगा कि वह एवं उसके मुखिया, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे । अच्छा होगा यदि प्रधानमंत्री स्वयं संसद के सत्र के समय महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी से सुनियोजित शहरी विकास को गति मिलेगी

- **रहवासियों को सुनिश्चित होंगी बुनियादी सुविधाएं, निवेश के द्वार खुलेंगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी**

युवराज

विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सुनियोजित नगरीय विकास की अहम भूमिका है। इससे आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा मिलता है जिससे बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार आने के साथ-साथ निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

इसी लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक ने नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी का अनुमोदन किया है, जिससे राजस्थान सुनियोजित नगरीय विकास के क्षेत्र में अठाणी राज्य बन सकेगा। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधान ऐसी योजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिनमें रहवासियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। जिसमें सुबह की सैर के लिए पार्क भी हो और वर्षा तथा अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था भी हो। नीति के अंतर्गत सभी योजनाओं में हरित क्षेत्र की अनिवार्यता की गई है। सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क-खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।

अंत्योदय की परिकल्पना होगी साकार, जरूरतमंद को मिलेगा आवास :-जरूरतमंद को आवास जैसी बुनियादी सुविधा का लाभ सुनिश्चित हो, इस ध्येय को भी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। नीति के अंतर्गत सभी योजनाओं में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान से पात्र ईडब्ल्यूएस-एलआईजी व्यक्तियों को आवास की उपलब्धता पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही, औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। इससे श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों के समीप ही आवास उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनको आवागमन के समय में बचत होगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि भी होगी।

नीति में विकासकर्ता पर जवाबदेहिता और रहवासियों के लिए सुविधायुक्त आवासों का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके लिए योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, आंतरिक विकास कार्यों के रख-रखाव हेतु रखरखाव शुल्क का प्रावधान भी किया गया है। नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा।

लम्बवत विकास को मिलेगा प्रोत्साहन :-शहरी क्षेत्रों का निरंतर विकास भूमि की उपलब्धता को सीमित करता है। ऐसे में आवश्यक है कि बहुमंजिला योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाए। नई टाउनशिप पॉलिसी लम्बवत विकास को बढ़ावा देती है। इससे कम क्षेत्र में भी अधिक आवासों का निर्माण हो सकेगा और अधिक से अधिक लोग निवास कर सकेंगे। इसके साथ ही नीति के अंतर्गत मिश्रित भू-उपयोग योजना, समूह आवास योजना, फ्लैट आवास योजना, एकीकृत योजना (समूह आवासीय, फ्लैट आवासीय, प्लोटेड), वाणिज्यिक भू-उपयोग में आमजन की सुविधा के लिए सब सिटी सेन्टर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर का प्रावधान भी किया गया है।

आवागमन में होगी सुविधा, बन सकेंगे सेक्टर रोड्स :-नीति में बड़े सेक्टर रोड के निर्माण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सडकों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

साथ ही, यह नीति सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करती है। नीति अनुसार, इन संयंत्रों की स्थापना के लिए राजस्व रिकॉर्ड में पहुंचमार्ग दर्ज होने व पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की बाध्यता नहीं रखी गयी है। इसके अतिरिक्त नीति में जलस्त्रोतों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया है। इसमें नदी, झील, तालाब, नहर, नाला, बरसाती नालों जैसे विभिन्न जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए इनके सहारे आवश्यक न्यूनतक बफर आरक्षित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

युवराज, पी.आर.ओ.,
सीएमओ।

मतदाता सूची : 1952-नाम जोड़ो, 2025-नाम काटो, (52-25-संदर्भ - बिहार विधानसभा चुनाव)

रामनिवास बैरवा

पहले आम चुनाव मार्च-अप्रेल, 1952 में सम्पन्न हो चुके थे। उस समय की मतदाता सूची चर्चा आज 1925 में (बिहार चुनावों के संदर्भ में) भी आवश्यक है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में बनाया गया था और 1951 में भी दूसरा कानून बनाया गया था। 1950 के कानून में मतदान क्षेत्रों का सीमांकन तथा मतदाता सूची आदि के संबंध में प्रावधान थे, तो 1951 के कानून में चुनाव संबंधी अन्य तामझाम का नियमन था जिसमें मतदाताओं की पात्रता-अपात्रता के अलावा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता-अयोग्यता का जिक्र था। 1951 के जन प्रतिनिधित्वकानून का भाग सात, जिसका शीर्षक था "करप्ट एण्ड इल्लीगल प्रेक्टिसेज एण्ड इलेक्टोरल ओफेंसेज" था। 1957 के दूसरे आम चुनावों के ठीक छः महिने पहले, 28.08.1956 के संशोधन के द्वारा इसको बदलकर सिर्फ "करप्ट प्रेक्टिसेज एण्ड इलेक्टोरल ओफेन्सेज" करने के लिए 'इल्लीगल प्रेक्टिसेज' को हटाकर गैर-कानूनी काम करने वालों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया गया था। इन संशोधनों के पीछे मतदाता सूचियों की भूमिका थी।

1952 के पहले 1951 में जनगणना हुई थी, उसी के साथ मतदाता सूचियां बनाने का काम भी किया गया था। करीब 17.5 करोड़ मतदाताओं की सूची बनाई गई थी। उस समय कई ग्रामीण स्त्रियां अपना नाम नहीं बतायीं- सामान्यतः स्त्रियों के नाम 'फलाने की पत्नी' या 'फलाने की पुत्री' के नाम से दर्ज की गई थी। तब उच्च अधिकारियों के ध्यान में यह तथ्य लाये जाने पर ऐसे नामों को हटा दिया गया था, पूरे देश की मतदाता सूचियों में से कुल 31 लाख से अधिक नाम हटाये गये थे। लेकिन, आज 2025 में मतदाता सूचियों में से अधिक से अधिक नाम कैसे हटाये जायें, चुनाव आयुक्तों का मुख्य कार्य बन गया है। प्रारम्भिक जानकारियों के अनुसार, मौजूदा बिहार में मतदाता सूचियों में से 37.50 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं, जबकि अभी लोगों से निर्धारित फार्म भरवाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। मतदाता सूचियों में से मतदाताओं के नाम हटाने-जोड़ने का कार्य सत्ता पर आसीन पार्टियों और पार्टी के लोगों का लक्ष्य है जिससे कि वे सत्ता में अपना बहुमत सुनिश्चित कर सकें।

1957 के आम चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूचियों से संशोधन करके काम चलाया गया था। जहां उत्तर भारत में गैर-कानूनी कामों में लगे प्रत्याशी (अगस्त, 1956 के संशोधनों के आधार पर) बने थे जो कि पार्टी के नाम से चुनाव जीते थे। गांधी जी की कांग्रेस के साथ भावनात्मक लगाव के कारण उत्तर भारत के काफी ज्यादा संख्या में अशिक्षित पुरूष और महिलाएं बिना प्रत्याशी के चारित्रिक और कानूनी गुणदोषों के मूल्यांकन के मतदान करके जिताये गये थे। परन्तु केरल के शिक्षित मतदाताओं ने कांग्रेस के बदले भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नम्बूदरीपाद को राज्य की सरकार बनाने के लिए चुना था। यह मतदाता और मतदान करने वाले व्यक्तियों का कमाल था। लेकिन, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इन्दिरा गांधी और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1959 में भारतीय कम्यूस्टि पार्टी की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।

आगामी चुनावों के मतदाताओं के मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और नाम काटने का अधिकार चुनाव आयोग को देने के लिए 1959 में "संसद (अयोग्यता से बचाव) अधिनियम" बनाया गया तथा 1960 में "मतदाताओं का पंजीकरण नियम" बनाये गये जिससे 1962 के चुनावों को तद्नुसार प्रभावित किया जा सके। 1971 के आम चुनावों के बाद 1977 के आम चुनाव 'आपातकाल' के साये से निकले मतदाताओं ने महत्वपूर्ण, लेकिन भावनात्मक रूप से कांग्रेस के विरूद्ध मतदान किया। जिसके परिणामस्वरूप गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी।1984 के मध्यावधि चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के भावनात्मक वातावरण में हुए और राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला। लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ कथित चरित्रवान नेता जनता के बीच कांग्रेस के खिलाफ जाने को थे। इसी सम्भावना को देखकर, आपात्काल के दौरान दिख रहे युवक कांग्रेस और एन.एस.यू.आई. के प्रभाव को भुनाने के लिए राजीव की कांग्रेस ने खास संशोधन करके मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कि नया खून नये जोश में अपेक्षाकृत युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व को समर्थन देंगे। साथ ही दल-बदल विरोधी कानून बनाने की आड़ में राजनीतिक पार्टियों को संवैधानिक दर्जा देकर योग्य व्यक्तियों को चुनने का अधिकार भी मतदाताओं से छीन लिया गया। लेकिन इन सबका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला, इसके विपरीत नैतिकता, चारित्रिक सुचिता और राष्ट्रप्रेम के तहत गैर कांग्रेसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भावनात्मक राष्ट्रवादी नारों के तहत काम कर रहे लागों का समर्थन भी था। वी.पी.सिंह ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके हिन्दू-मुस्लिम के धार्मिक आधारों पर बंटे मतदाताओं को जातियों में भी बांटने का रास्ता साफ कर दिया। जातियों के आधार पर मतदाताओं के बंटने से क्षेत्रीय पार्टियां तो उभरीं। 2004 में समय से कुछ समय पहले चुनाव करवाये और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते आर.एस.एस. की सभी नीतियों को बखूबी लागू किया- क्योंकि वह संघप्रचारक रह चुके थे। पर्याप्त धन इकट्ठा करने के साथ-साथ राजनीतिक ताने-बाने को तथा प्रशासनिक ढांचे को आर.एस.एस. की नीतियों के अनुसार ढालने में सफल रहे थे, अतः आगामी 2014 के आम चुनावों में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया तथा प्रधानमंत्री बना दिया गया।

अब आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रह गया था कि जैसे भी हो सरकार में बना रहने के लिए चुनावों को हमेशा अपने पक्ष में बनाना। इस काम में मतदाता सूचियां मुख्य भूमिका निभाती हैं, यह निर्विवाद है और जिसकी कुंजी चुनाव आयुक्त के पास होती है। इसीलिए, नरेंद्र मोदी ने सीधे जिला कलेक्टरों से मीटिंगें कीं। मध्यम और नीचे के आई. ए. एस. अधिकारी भावनात्मक रूप से इससे अपना बड़ा हुआ महत्व मानने लगे। चंडीगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक अपनी सफल भूमिका निभाने के बाद चुनाव आयुक्त पर विभिन्न राज्यों के चुनाव और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे दोहराना बाकी है। फिलहाल, बिहार की विधानसभा के आम चुनावों में मतदाता सूचियों को मुख्य मुद्दा बनाकर आर.एस.एस. की नीतियों को सापेक्ष रूप से और भी सफल बनाने का आयोजन हाथ में ले लिया गया है।

काफी समय से मुसलमानों को अलग-थलग करने के प्रयास में एक प्रयास यह भी रहा है कि बांग्लादेशियों ने नाम से अधिक से अधिक संख्या में उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाये जायें। दूसरा, बिहार में सभी जातियों में पिछड़ी और अछूत जातियों की बहुतायत क्षेत्रीय पार्टियों के पक्ष में है- लेकिन इन्हीं में से अधिक दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिये गये होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन लोकतन्त्र के मतदान के अधिकार ने उनमें पर्याप्त जागरूकता पैदा की है, इसीलिए प्रत्येक चुनावों में वे अन्य राज्यों से आकर बिहार के अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनावों में सफलता प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। इसी को लक्ष्य करके अभी बिहार में मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन किया जा रहा है।

चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोर्स रूल्स, 1960 का सहारा लेकर मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में फार्म भरवाये जा रहे हैं लेकिन प्रशासन के बूथ लेवल ऑफिस (बी.एल.ओ.) जो कि ऊपर के आई.ए.एस. अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के दिशा-निर्देश में काम करते हैं- दो की जगह एक ही फॉर्म दे रहे हैं और वो भी आधा-अधूरा भरवाकर इकट्ठा करके संबंधित मतदाता सूची पोर्टेल पर चढ़ाने की कसरत कर रहे हैं। फॉर्म भरवाने का काम अभी जारी है-परंतु चुनाव आयेग ने अपनी दक्षता का बखान करते हुए घोषणा कर दी कि करीब 37.5 लाख नाम मतदाता सूचियों में से हटा दिये गये हैं। प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही फैसला कर लिया गया? जाहिर है बांग्लादेशियों के नाम परमुसलमानों के तथा दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिये गये बिहारियों को अनुपस्थित मानकर पहले ही योजनानुसार नाम हटा दिये गये हैं। इसका परिणाम बिहार विधानसभा के चुनावों में देखा जायेगा। विडंबना देखिए कि एन. आर. आई. लोगों को मतदाता सूचयों में जोड़ने के लिए 2011 में कानून में संशोधन किया गया वहीं दूसरे प्रांतों में रहने वालों के, जो कि मतदाता सूची संशोधन के समय अपने दिये गये पतों पर अनुपस्थित पाये जायें, उनके नाम हटाये जा रहे हैं। कैसी विडम्बना है, 1952 के चुनावों के समय जहां मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने की मुहिम चलाई गई थी, वहीं अब 2025 में नाम हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। 1952 में भारत की जितनी आबादी थी यानि कि 37 करोड़, उससे ज्यादा नाम तो केवल बिहार की मतदाता सूचियों में से हर हटा दिये गये हैं। क्रमशः पूरे भारत में कितने नाम हटाये जायेंगे, देखना बाकी है।

- राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राशिफल मंगलवार 22 जुलाई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, मृगशिरा नक्षत्र सायं 7:25 तक, शुक्र योग दिन 3:32 तक, तैतिल करण प्रातः 7:06 तक, चन्द्रमा प्रातः 8:15 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क चन्द्रमा-वृष, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज द्विपुष्कर और राजयोग सूर्योदय से प्रातः 7:06 तक है। यमघट योग सायं 7:25 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा रात्रि 4:40 से आरम्भ होगी। आज सायन सिंह में सूर्य प्रवेश सायं 7:00 पर होगा। आज भौम प्रदोष व्रत है। आज त्रयोदशी तिथि का क्षय हुआ है। आज मंगला गौरी पूजा, कैर पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:11 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:14 तक। शुभ 3:55 से 5:35 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16

मेष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है।

कर्क

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक/व्यक्तिगत कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

सिंह